S.B. Civil Review Petition No. 2/2006
(Ghanshyam Lal V/s State of Rajasthan & ANR)

14.2.2007

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री माणक मोहता</u>

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री जे.के. भैया।

पुर्नविचार याचिका पर योग्य अधिवक्ता को सुना गया। पूर्व में पारित निर्णय व आदेश दिनाक 20.12.2005 का अवलोकन किया गया।

बहस के दौरान ऐसी कोई त्रुटि नहीं बतलाई गई हैं, जिससे उस पर पुर्नविचार की आवश्यकता हो और न ही ऐसी कोई अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध कराई गई हैं, जिसको आधार बनाकर पुर्नविचार करने के आधार बनते हो। मेरे विनम्र मत में पुर्नविचार का सीमित क्षेत्र रहता हैं। उठाये हुये उजरों के आधार पर प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती। बहस के दौरान उक्त निर्णय व आदेश के विरूद्ध की गई कार्यवाही भी माननीय उच्चतम न्यायालय से निरस्त होना बतलाया।

अत: मौजूदा प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य हैं। पुर्नविचार प्रार्थना पत्र के तहत प्रकरण पर पुन: सुनवाई करने का क्षेत्र नहीं रहता।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पुर्नविचार का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं।

(माणक मोहता)
न्यायाधिपति